(304)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

कमांक:- प.6(30)नविवि/3/07 जयपुर दिनांक 2 NOV 2007

<u>परिपत्र</u>

विषय:- कृषि भूमि नियमन के अन्तर्गत अवाप्त भूमि/राजकीय भूमि के नियमन के संबंध में।

विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16.10.07 में आंशिक संशोधन करते हुऐ अवाप्त भूमि/राजकीय भूमि के नियमन के समस्त प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने के बजाय कुछ प्रकरणों को स्थानीय निकाय स्तर पर ही समुचित निर्णय लिया जाकर लंबित कार्य त्वरित गति से निपटाये जाने की दृष्टि से स्थानीय निकायों को उनके स्तर पर ही विधिसम्मत निर्णय हेतु शक्तियां निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

<u>राजकीय भूमि पर बसी कॉलोनियों/योजनाओं के नियमन (प्रति योजना/कॉलोनी) बाबत :-</u>

जयपुर विकास प्राधिकरण	-10 बीघा भूमि तक
समस्त नगर विकास न्यास	- 5 बीघा भूमि तक
अन्य स्थानीय निकाय	- 2 बीघा भूमि तक

<u>अवाप्ताधीन /अवाप्त भूमि के नियमन बाबत:-</u>

इस संबंध मे जविप्रा/समस्त नगर विकास न्यास/स्थानीय निकाय अपने स्तर पर नियमन हेतु अधिकृत होंगे, यदि संबंधित क्षेत्र में निर्माण 50 प्रतिशत से अधिक भूमि पर हो चुका है। इससे कम निर्माण होने की स्थिति में प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित कर मंत्रीगण की उप समिति के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा

(परविन्दर सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम